

राजस्थान सरकार
महिला एवं बाल विकास विभाग
2, जलपथ, गाँधी नगर, जयपुर

क्रमांक: प.11(2)()/मा. /वी.सी./आईसीडीएस/2013/१४२२-618 जयपुर, दिनांक: 16-18

1. उप निदेशक
महिला एवं बाल विकास विभाग
समस्त राजस्थान।
2. बाल विकास परियोजना अधिकारी
समेकित बाल विकास सेवाएं
समस्त राजस्थान।


विषय:- दिनांक 07.06.2018 को आयोजित विडियों कॉन्फ्रेंसिंग के सन्दर्भ में।

महिला एवं बाल विकास विभाग की माननीय मंत्री महोदया द्वारा निदेशालय के विडियों कॉन्फ्रेंसिंग सेन्टर, जयपुर से दिनांक 07.06.2018 को अपरान्ह 2.00 बजे से 4.00 बजे तक वार्ता कर विभागीय योजनाओं की समीक्षा की जायेगी। उप निदेशकों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त दिनांक को एजेण्डावार सूचना के साथ मय स्टॉफ जिला मुख्यालय स्थित DOIT के विडियों कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

साथ ही समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारियों को भी निर्देशित किया जाता है कि उक्त दिनांक को परियोजना में पदस्थापित पर्यवेक्षकों सहित पंचायत समिति स्थित जन-सुनवाई केन्द्र के विडियों कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में उपस्थित होना सुनिश्चित करे।


विडियों कॉन्फ्रेंसिंग का एजेण्डा निम्नानुसार है:-

| समय | संभागी जिले | चर्चा के मुख्य एजेण्डा बिन्दु |
|----------------------------|---------------|---|
| 2.00 बजे से 4.00 बजे तक | समस्त 33 जिले | <ol style="list-style-type: none">1. पोषण अभियान।2. प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना (PMMVY) की समीक्षा।3. आंगनबाडी केन्द्र भवन निर्माण व मरम्मत की समीक्षा।4. पूरक पोषाहार वितरण की समीक्षा।5. किशोरी बालिका योजना।6. अक्रियाशील आंगनबाडी केन्द्रों की समीक्षा।7. आंगनबाडी केन्द्रों पर मानदेय कर्मियों के चयन की प्रगति।8. मानदेय कर्मियों के भुगतान की स्थिति।9. राजधारा की समीक्षा।10. पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापकों हेतु आंगनबाडी केन्द्र के स्थान निर्धारण की समीक्षा। |


निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक: प.11(2)()/मो./वी.सी./आईसीडीएस/2013 98619-632 जयपुर, दिनांक 1-6-18
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदया, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं जयपुर।
4. निदेशालय स्थित समस्त संबंधित अधिकारीगण उक्त विडियों कॉन्फ्रेंसिंग में सूचना सहित आयोजित वीसी में भाग लेना सुनिश्चित करे।
5. ए.सी.पी. मुख्यालय का विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।
6. रक्षित पत्रावली।


(अति निदेशक (आई.)
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान जयपुर।